Prasan Kumar, Shri S. N.
Quadri, Shri S. T.
Ram, Shri Ramswaroop
Ramamurthy, Shri K.
Ranjit Singh, Shri
Rao, Shri M. Nageswara
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rath, Shri Rama Chandra
Rathod, Shri Uttam
Reddy, Shri G. Narsimha
Roat, Shri Jai Narain
Saminuddin, Shri
Sathe, Shri Vasant
Satish Prasad Singh, Shri
Sawant, Shri T. M.
Sethi, Shri P. C.
Shakyawar, Shri Nathuram
Sharma, Shri Chiranji Lal
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Shri Nawal Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu
Shastri, Shri Hari Krishna
Singh Deo, Shri K. P.
Soren, Shri Hari Har
Sparrow, Shri R. S.
Sultanpuri, Shri Krishan Dutt
Sunder Singh, Shri
Tayyab Hussain, Shri
Thorat, Shri Bhausaheb
Tripathi, Shri R. N.
Tudu, Shri Manmohan
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shrimati Usha
Vijayaraghavan, Shri V. S.
Vyas, Shri Girdhari Lal
Wagh, Dr. Pratap
Yadav, Shri Ram Singh
Zainul Basher, Shri

MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the Division is:

Ayes : 28; Noes : 94

The motion was negatived.

ANTI-HIJACKING BILL

AND

SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF CIVIL AVIATION BILL

MR. CHAIRMAN: The House will now take up times No. 22 and 23 together. Now, I call the Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF CIVIL AVIATON AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

> "That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

In December 1944, the Convention on International Civil Aviation was adopted at Chicago with the primary aim of achieving development of international air transport in a safe, economic and orderly manner. With rapid technological developments, aircraft became a speedier and safer mode of transport and was responsible for a rapid growth of international air transport. However, the speed, the range

---

*The following Members also recorded their votes.

AYES : Shri Harish Kumar Gangwar.

NOES : Shri G. S. Nihal Singhwala

and the capacity of the modern aircraft also made it more vulnerable to threats by persons on board the aircraft with unlawful motives which endangered the safety of the aircraft as well as the lives of innocent passengers and crew.

Although the International Civil Aviation Organisation and its Legal Committee were seized with these problems, the complexity of the international aspects of such acts defied solution for a long time. The Legal Committee which considered these matters from time to time prepared a draft which resulted in the adoption of the Convention on offences committed on board aircraft at Tokyo in 1963.

The main achievement of the Tokyo Convention, 1963 was to specify powers of the Commander of an aircraft engaged in international flight when he has reasonable grounds to believe that a person has committed on offence agains tpenal laws or acts which endanger the safety of the aircraft or of persons or property therein on which endanger good order and discipline on board aircraft. It also became the first international instrument to deal with unlawful seizure of aircraft by providing that all contracting States shall assist in restoring control of the aircraft to its lawful commander and that the contracting State in which the aircraft lands shall permit passengers and crew to continue their onward journey as soon as practicable and return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to their possession. Thus the Convention only partially solved the problems which the international air transport faces as a result of the commission of offences against aircraft and unlawful acts against safety of civil aviation. The House will recall that a Bill to give effect to this Convention was passed by Parliament in 1975 and the Tokyo Convention Act came into force on 1st January, 1976.

The International Civil Aviation Organisation through its Legal Committee continued its efforts towards drafting Conventions which would be acceptable to the majority of its members and deal effectively with these problems. In the Sixtees after the Tokyo Convention was adopted unlawful seizure of aircraft, became a serious Social threat, resulting in the death of, or injury to innocent passengers and crew members who were take nas hostages. The threat of hijacking, which had until then been localised in certain areas was becoming universal. These acts became a weapon for achieving major national political objectives in complete disregard for the lives of innocent civilian passengers and led to international terrorism and blackmail. The scourge of unlawful seizure of aircraft, the upsurge of other acts on interference against international civil aviation such as attacks against aircraft and installations on the ground and the placing of explosives on board aircraft as well as extraordinary rapid succession of crimes of violence, directed against aircraft in 1970, resulted in the preparation of two Draft Conventions by the International Civil Aviation Organisation—one on the suppression of unlawful seizure of aircraft which was adopted at the Hague on 16th December 1970 and the other on the suppression of unlawful acts against the safety on civil aviation which was adopted at Montreal on the 23rd September 1971. The Hague convention came into force on 14th October 1971 and has been ratified by the 114 States so far. The Montreal Convention came into force on 20th January 1973 and has been ratified by 113 States so far.

The Hague Convention applies to the offence of unlawful seizure of aircraft in fight—what we call hijacking—and imposes an obligation on the contracting States to make it punishable with severe penalty. The Convention requires contracting States to establish their jurisdiction (i) when the offence is committed on board an aircraft registered in their territory; (ii) when an aircraft lands in their territory with the alleged offender still on board and (iii) also when the alleged offender is found in their territory.

The Montreal Convention applies to unlawful acts which jeopardise the safety of persons and property on board an aircraft in flight and which seriously affect the operation of air services. It applies to unlawful acts against an aircraft in flight as well as to aircraft in service. According to the Convention, an aircraft is considered to be in service, from the beginning

[Shri Bhagwat Jha Azad]

of the pre-flight preparation of the air-craft, by the ground personnel or by the crew for a specific flight until 24 hours after any landing. The Convention applies to acts which destroy or cause damage to the aircraft rendering it incapable of flight or which cause such damage which is likely to endanger the safety in flight as well as to those acts which destroy or damage air navigational facilities or interfere with their operation. Further, it applies to communication of information which is fales and endangers safety of the aircraft in flight like telephoning of the bomb scare and so on.

Both these Conventions deem the offences to which they apply as extraditable ones, subject to bilateral treaties; and in case extradition is not agreed to, the contracting State where the offender is present, is required to prosecute him.

The nature and the complexity of the crimes against Civil Aviation call for multi-dimensional solution. In response to the practices recommended by the International Civil Aviation Organisation, the International Community have taken preventive steps for airport security, with a view to contain the commisson of these crimes.

While it may not be possible to completely eradicate these crimes, Government has also made security arrangements at airports in India. The Government propose to further strengthen these arrangements by installation of most modern and sophisticated equipment such as Baggage X-Ray Machines at the four international airports and other important airports. The Government has also decided to ratify the two Conventions in view of their importance and enact legislation to give effect thereto, which would be complementary to the steps already taken by the Government in this regard. The Government expects that the special legislation which will have necessary psychological impact on the public would prove to be a deterrent to the commission of unlawful acts against aircraft in India.

The Bills which are before the House seek to achieve mainly the objectives underlying the Hague Convention and the Montreal Convention. The provisions of these two Conventions do not apply where both the point of take-of-and the point of landing of an aircraft in relation to which an offence is committed, are situated in the territory of the State of registration of the aircraft. However, the provisions of these Bills will apply to an Indian registered aircraft, when both the point of take-off and the point of landing of such aircraft are situated in the Indian territory. We have taken advantage of this and are providing for it in these Bills. The Montreal Convention applies to acts, which destroy or damage or interfere with the operation of navigational aids, which are used in international air navigation. However, the provisions of the Montreal Convention Bill, will be extended to every air navigation facility, in India in relation to which the offience is committed irrespective of whether such facility is used for air navigation other than international air navigation.

The Bills propose to make the offence of hijacking, as well as the unlawful acts against safety of civil aviation punishable with imprisonment for life and along with fine.

With these introductory remarks, I commend these two Bills for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN: Motions moved:

"That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

"That the Bill to give effect to hte Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) Mr. Chairman, Sir, at the outset, I support the

two Bills namely the Anti-Hijacking Bill and the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill. These Bills have been framed having due regard to the Conventions we have entered into in the Hague and Montreal in 1970 and 1971 respectively. The hon. Minister has already explained the provisions formulated in the Hague Convention. The main provisions are that the contracting States have been authorised or are required to establish their jurisdiction when an offence is committed on board an aircraft registered in their territory, and when the aircraft lands with an offender on board in their territory, and thirdly, when the alleged offender is found in their territory.

In the Montreal Convention, the provisions are, more or less, similar; the Montreal Convention requires only to plug the loopholes which were there in the Hague Convention.

Now, a provision has been made in these Bills for life imprisonment and fine for the hijackers. I have no soft corner for them, or the party involved in such a crime This is because we think that such a crime is against the total humanity, against the nation, and against the State. At the same time, I should be frank that we have some soft corner for those persons who indulge in such crimes because those persons are engaged in promoting the interests of their nation. I would like to give a few example. During the British regime some of our revolutionaries fought against the British here. Some officials were killed and we should think at this stage that mere killing of an individual would not foot out the corrupt regime at a particular stage. So, though we had some soft corner for the revolutionary activities, we were compelled to say that such activities cannot really relieve a nation of the corrupt regime. Individual terrorism would not bear fruits. Mass movement or revolutionary activities with the masses behind can relieve us of a particular corrupt regime. So, keeping this in our mind we can say very affirmatively that crimes against individuals are crimes against the humanity, particularly when the innocent persons are held to ransom by some people to promote their own personal interests, such activities should not be pardoned by any State.

Sir, I would like to put a question to the Hon. Minister. During the recent past two hijackings took place in India. So far as I am aware, those persons have been rewarded. Whether these reports are correct or not, I would like to know it from the Hon. Minister.

I will put another question to the Hon. Minister. The Hague and the Montreal Conventions were signed as far back as 1970 and 1971. What are the causes of such delay that the present Bills are being framed at this late stage? Even in the Bills there are some lacunae. Just for example a person belonging to a particular State may commit an offence in an aircraft registered in another State and that aircraft may land in yet another State. Then these three States would definitely prefer claim against the person involved. Then what would be the position and what is the reaction of our Government to such crimes against the persons who are our Indian citizens?

In the Bills, it has been mentioned only that the persons alleged and if found guilty would be sentenced life imprisonment and would be fined. What is the amount of fine? That amount has not been indicated here. I think the Government has assumed that the amount of fine would be in conformity with the gravity of the crime. If that is so, the Hon. Minister may kindly answer to my question.

In conclusion, I would point out that when some persons get themselves involved in hijacking or in the omission or commission of some acts which may cause damage to the aircraft, personnel of the aircraft, or property, those persons may have some link with foreign countries. In such cases, such foreign countries would have to be fought politically. I would like to know whether the Government is ready to take such political action against those countries which have link-up with the persons considered to be offenders.

With these words, I support the Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 और सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 दोनों का मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की हरकतों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक जो कुछ भी कार्यवाही की है उसके सम्बन्ध में आपने कोई जानकारी नहीं दी है। कई लोगों ने विमानों का अपहरण किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, किस प्रकार से सख्ती बरती और कौन से कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की है इसके सम्बन्ध में विशेष तौर से जानकारी देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस मामले में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हो उसको इस प्रकार का काम करने का कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों की जानमाल से खेले, प्रोपर्टी को नाश करने का प्रयत्न करे या उन पैसेंजर्स को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाये। यह किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और जो कंवेन्शन्स हुए हैं मान्ट्रीयल और हेग में उनमें भी इस बात को दिया गया है कि ऐसे लोग जो किसी की जानमाल के खिलाफ किसी प्रकार की कोशिश करें तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं ऐसे आदमियों के सम्बन्ध में जो इसमें जन्म कैद की बात कही है उसके बजाय और सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको तो गोली से उड़ा देना चाहिये ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो। ऐसी सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक लोग बराबर इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। और आप जानते हैं बहुत से ऐसे बिगड़े दिमाग हैं जिनको किसी विदेशी शक्ति या राजनीतिक पार्टी से कुछ मिल जाय तो वह इस प्रकार की गड़बड़ करने में कभी पीछे नहीं रहते। और उसके साथ-साथ जो आप विमानन की सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून ला रहे हैं उसको भी और ज्यादा सख्त बनाना चाहिये।

आप जानते हैं कि एक जहाज करोड़ों रु० में आता है अगर कोई छोटी सी गड़बड़ कर दे और उसकी वजह से ऐक्सीडेंट हो जाय तो कितने ही आदमी मरेंगे और प्रोपर्टी का भी नुकसान होगा। ऐसे आदमी के खिलाफ अगर सख्ती से कार्यवाही नहीं करेंगे तो उससे हमारी प्रोप। और प्रभुसत्ता को भी धक्का पहुंचता है इसलिये इस सम्बन्ध में विशेष तौर आपको ध्यान देना चाहिये।

जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं, दिन रात देखभाल करते हैं उनकी गफलत से ऐक्सीडेंट हो जायें या विमान के अन्दर बैठे हुए लोगों को तकलीफ उठानी पड़े, जानमाल की हानि पहुंचे, तो ऐसे लोगों को भी नेग्लीजेंस के सम्बन्ध में आपने कोई प्रावधान नहीं किया। आपको इसमें यह प्रावधान भी करना चाहिये कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है, चाहे एयर इंडिया में हो या इंडियन एयरलाइन्स या अन्य कंपनी में हो, अगर वह अपनी ड्यूटी में नेग्लीजेंस करता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

17.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आपने इस कानून में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। जब तक आप इस व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की हरकतें चलती रहेंगी।

थोड़े दिन पहले जिस विमान में प्रधान मंत्री ट्रैवल करने वाली थीं, उस के कुछ पुर्जे निकाल लिये गये। जब ऐसे इम्पार्टेंट व्यक्ति विमान में ट्रैवल करते हों

ग्रौर उस विमान में कोई तोड़फोड़ कर दे तो यह हमारे देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से डील करने की ग्रावश्यकता है। इसमें लीनियेन्सी नहीं बरती जानी चाहिये। ग्रगर ऐसा होता है तो इससे देश को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हमारी सेवाग्रों को ग्रौर देश को बहुत नुकसान होगा। कितने बड़े-बड़े लोगों की एयर क्रैशेज में जानें गई हैं, इसी से ग्रन्दाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। थोड़ी सी नेग्लीजेंस से बड़ी-बड़ी विभूतियों को खतरा उठाना पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत ग्रावश्यकता है। इस सम्बन्ध में ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चले।

जो क्राइम कमिट किया जाता है, उस विमान के ग्रन्दर भी ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो हाईजैकर हैं, जो कहीं तो झूठा गोला लेकर चले जाते हैं या छोटा-मोटा हथियार लेकर चले जाते हैं, उनकी इस हरकत को रोका जा सके। विमान के ग्रन्दर पाइलट ग्रौर पैसेन्जर्स के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रहती जिससे उनको रोका जा सके। ऐसी व्यवस्था का होना ग्रावश्यक है जिससे उनके खिलाफ वहीं कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार से विमान की ग्रौर पेसेन्जर्स की सेफ्टी हो सकती है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलने की व्यवस्था भी निश्चित तौर से की जानी चाहिये।

ग्रापने केवल सजा देने की बात तो कही है, लेकिन विभाग को ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं कही। इसके बढ़ाने की भी बहुत ग्रावश्यकता है। देश में ऐसे बहुत स्थान हैं, जहां हवाई सेवाएं नहीं हैं। ग्राप वायुदूत की सेवा बढ़ा रहे हैं, मगर ग्रापने पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है। मैं ग्रपनी कांस्टीटुएन्सी के बारे में कहना चाहता हूं कि भीलवाड़े में वायुदूत की सेवा प्रारम्भ की जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को भी इससे फायदा मिल सके।

जोधपुर ग्रौर उदयपुर के लिये भी रोज-सेवा उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो बड़े-बड़े कस्बे ग्रौर शहर हैं, उनमें हवाई सेवाग्रों की ग्रावश्यकता है। मंत्री महोदय से हम ग्राशा करते हैं कि वह इस तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे ग्रौर जहां भी इन चीजों की जरूरत है, उनके सम्बन्ध में गौर कर के ऐसा निर्णय करेंगे जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिले, पिछड़े हुए क्षेत्र ग्रागे बढ़ें ग्रौर वहां के लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा हो सके।

मुझे पुरी ग्राशा है कि मंत्री महोदय का सहयोग हमें मिलेगा ग्रौर हमारी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति वह करेंगे। इन शब्दों के साथ में उनके द्वारा पेश किये गये दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, जब 10-20-30 हजार फीट की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है, उस वक्त यदि उसको कोई हाईजैक कर ले, उसका ग्रपहरण कर ले, पिस्तौल की नोक पर या किसी ग्रौर तरीके से, या तलवार के इशारे पर, उस वक्त उसमें सवार पैसेन्जर्स में ग्रशांति ग्रौर भय व्याप्त होता है, श्रीमन्, उस का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे समय जब उस हवाई जहाज में

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

लगभग 200 से भी ज्यादा लोग सवार होते हैं, उन की जान खतरे में पड़ जाती है। उसके साथ ही, उसमें जितने पायलट्स और परिचारिकाएं होती हैं, जिनको हम वर्षों तक ट्रेनिंग देते हैं, उन की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे कार्यों की रोकथाम के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जाना, या कोई विधेयक लाना बहुत आवश्यक है। मैं इस बात में नहीं पड़ता कि माउन्ट्रियल कन्वेंशन के बाद रैटिफिकेशन के लिए हम उसको देर से लाये, लेकिन "देर आयद, दुरूस्त आयद"। आखिर आ तो गया।

इस देश में हाल ही में हाइजैकिंग के तीन-चार इन्सटान्सेज हो चुके हैं। श्रीमन्, पहली हाइजैकिंग तो पाकिस्तान ने करवाई थी, कश्मीर के सवाल पर, गलत उसका लाभ उठाने के लिए, वे हमारे विमान को खुद लाहौर ले गए और वहां जाकर बड़ी धूमधाम के साथ उसको जला दिया। पता नहीं, हमारी सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या किया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में उस के सम्बन्ध में भी प्रकाश डालेंगे। इस घटना के तुरन्त बाद ही हमने अपने क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के उड़ने पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद बंगला देश बना। उसके बाद जब पाकिस्तान के एक विमान को वहां के लोग उड़ा कर काबुल ले गए, तो पाकिस्तान ने यू० एस० एस० आर० और यू० एस० ए० आदि कई देशों से सहायता की प्रार्थना की। आज भी, जैसा श्रीमन्, आपको मालूम ही है कि पाकिस्तानी विमान का अपहृत यात्री 12–13 दिन की यंत्रना सहन करने के पश्चात् दश्मिक से वापस आया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जिस बोइंग 737 का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया था, जिसका अपहरणकर्ता खालिस्तान की मांग के समर्थन में उसको वहां ले गया था और आज भी वह पाकिस्तान में ही है, उसको वापस लौटाने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक वह पाकिस्तान के कब्जे में है। वह यहां पर लौट कर क्यों नहीं आ रहा। आज उसके संबंध में अकाली दल मांग कर रहा है कि पकड़े हुये उस अपहरणकर्ता को छोड़ दिया जाये, उसके बारे में आपकी क्या राय है। मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में सदन को सूचना दें।

श्रीमन्, अभी हमारे देश में जियाउल हक साहब तशरीफ लाये थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अपहरणकर्ता और जलाये हुये विमान के बारे में क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई थी या नहीं। यदि आपने उनके बारे में कोई बातचीत की, तो उसका ब्यौरा क्या है।

अन्त में, श्रीमन्, मैं यह और कहना चाहता हूं कि अब तक आप की अपहरण के संबंध में जैसी पॉलिसी रही है कि जब भी किसी विमान का अपहरण किया जाता है आप उसको राजनैतिक रूप देकर उसको राजनैतिक हीरो बना देते हैं। उत्तर प्रदेश के दो अपहरणकर्ताओं को, जिन्होंने वाराणसी में भारतीय विमान का अपहरण किया था, जिनके नाम क्रमश: देवेन्द्र पाण्डे और भोला पाण्डे है, आपने दोनों को ही एम० एल० ए० का टिकट देकर दोनों को एम० एल० ए० बना दिया और अब वे मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए जब वह खालिस्तान की मांग करने वाला सिख नवयुवक आपसे मांग करता है कि उसको भी छोड़ दिया जाए ताकि वह भी एम०

एल०ए० बन सके, तो उसकी मांग पर भी आप को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। वह भी यही मांग करता है कि उसको एम० एल० ए० बनने दिया जाए। इसलिए आप उसे भी एम० एल० ए० बन जाने दें। इसमें वह कौन सी बुरी बात करता है। क्योंकि आपने इस देश में इस तरह का प्रीसीडेंस बनाया है, आपने इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। वह भी तो यही कह रहा है कि हमको छोड़ दिया जाए, हमारी मांग राजनैतिक थी, खालिस्तान बनाने की उसकी मांग थी। जैसे कि उन वाराणसी के लोगों की मांग राजनैतिक थी, इसी प्रकार की बात उसने भी की तो मैं समझता हूं कि यह बात अच्छी नहीं है कि यदि किसी भी देश में किसी विमान का कोई अपहरण करता है, उसको राजनैतिक रूप देकर छोड़ दिया जाए। उसको कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुझे यह बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमें वापस लिए, यही नहीं, आज उनकी स्थिति क्या हो रही है, वे बलिया के रहने वाले, कलैक्टर की अदालत में जाकर उसको पीटते हैं, मजिस्ट्रेट को अदालत में जा कर उसको पीटते हैं। और न जाने क्या करते हैं। आज उन्होंने वहां आतंक का राज्य फैलाया हुआ है। यही नहीं, जब श्रीमन्, हमारे यहां कानून बना रखा है कि 498 के अन्तर्गत पहली पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यदि कोई करेगा तो उसे सजा होगी, लेकिन श्रीमन्, भोला पांडे ने अपनी दूसरी शादी वहीं की एक एम० एल० ए० से की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। श्रीमन्, वह कानपुर की एम० एल० ए० है और उससे भोला पाण्डे ने शादी रचाई है, अपनी पहली बीवी के रहते हुए। सारे के सारे मिनिस्टर वहां दावत खाने गए। इस बात का सम्बन्ध हाईजैकिंग से नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वह बराबर कानून तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी मंत्री बनाने को उसकी मांग पर विचार किया जा रहा है। अभी तो वे प्राविंस में हैं। जब वे बड़े हवाई जहाज का हाईजैकिंग करेंगे, तो वे सेंटर में आ जाएंगे।

MR. DEPUTY SPEAKER: Is giving Ministership under your active consideration?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: No Sir. It is not my concern. They are concerned with it. He was a Congress (I) man. Congress (I) gave them ticket and they were elected. They do not belong to opposition parties.

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि विमानों और हवाई अड्डों पर फ़ैसिलिटीज बहुत कम हैं। कहीं भी पीने के पानी को ठीक व्यवस्था नहीं है। कोई ठीक तरीके से बात नहीं करता। रिपेयर का यह हाल है कि जहां हवाई जहाज उतरता है, वहां से दो, चार, पांच सौ मील दूर हवाई अड्डे से सामान आता है। हर जगह मरम्मत को व्यवस्था नहीं है। या तो हवाई जहाज को ऐसी जगह उतारा जाए, जहां रिपेयर्ज की व्यवस्था हो, अन्यथा सब जगह रिपेयर्ज को व्यवस्था को जाए। आज तो स्थिति यह है कि रिपेयर्ज के कारण हवाई जहाज आठ, दस, बारह घण्टे तक लेट हो जाते हैं।

जहां तक सर्च का सम्बन्ध है, आज के नये युग में भी सिपाही जिस्म, धोती, कुर्ते और पेंट को हाथ लगाता है। यह कौन सा तरीका है ? अगर इस जमाने में भी मेटल डिटेक्टर के जरिये यह काम न किया जाए, तो यह अच्छी बात नहीं है। वाज दफ़ा लोगों का बहुत अपमान होता है। एम पीज और एम० एल० ए० के साथ भी यही व्यवहार होता है। इसके लिए कोई नई रीति निकालिए,

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जिससे हम इस अपमानजनक स्थिति से बच सकें।

कई एयरलाइन्ज में बहुत घाटा हो रहा है। अभी अखबारों में आया है कि वायुदूत में लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। समय कम होने के कारण मैं डीटेल में नहीं जाऊंगा। मंत्री महोदय इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं।

जितनी कम सुरक्षा व्यवस्था यहां के हवाई अड्डों पर देखी जाती है, शायद उतनी कम और कहीं नहीं होगी। हवाई जहाजों का नुक्सान पहुंचाने की कार्यवाहियां हिन्दुस्तान भर में जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था जितनी कड़ी होनी चाहिए, उतनी कड़ी नहीं है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने बहुत जगह हवाई जहाजों के रुकने और वायुदूत सेवा का प्रबन्ध किया है। हमारे यहां पहाड़ में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, काशीपुर, पीलीभीत आदि में कोई हवाई अड्डा नहीं है। बरेली इसके लिए सब से अच्छी जगह हो सकती है। वह रुहेलखण्ड कमिश्नरी का मुख्यालय है, जहां कमिश्नर और डी आई जी रहते हैं। अब तो वह एक कार्पोरेशन, महानगर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली से जो वायुयान लखनऊ हो कर कलकत्ता जाता है, यदि उसको बरेली में रोकने की व्यवस्था की जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। इससे वहां के व्यापार की भी उन्नति होगी और आने जाने की भी सुविधा रहेगी। वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां पर एक सैनिक हवाई अड्डा है। उसके आस पास या बराबर एक हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। इसमें बहुत खर्चा नहीं होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी इस बात को मानेंगे और बरेली को सिविल विमान सेवा के जरिए जरूर जोड़ेंगे।

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, 12 साल के बाद हमारे भागवत झा आजाद जी दो बिल लेकर यहां पर आए हैं। मैं समझता हूं 1970 के बाद सरकार को तब तक कोई होश नहीं आया जब तक कि भारत के विमान भी अपहृत नहीं किए जाने लगे। जो घटनायें इस बीच में यहां हुई उनमें विदेशी ताकतों का हाथ था। अमरीका और कनाडा में हिन्दुस्तान को तोड़ने की साजिश की गई और पाकिस्तान की तरफ से ननकाना साहब की सावरेण्टी का आफर दिया गया। अभी अभी यहां पर जो जियाउल हक साहब आए थे उन्हीं के शासन में आफर दिया गया कि अगर लोग हिन्दुस्तान से अलग होने के लिए तैयार हों तो पाकिस्तान भी ननकाना साहब की सावरेण्टी देने के लिए तैयार हो सकता है। खालिस्तान का आन्दोलन सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर भी चला। 1970 में जो हेग और मांट्रियल कन्वेन्शन का करार था उस पर सरकार ने कभी सोचने की जरूरत नहीं समझी। 12 साल के बाद नये कन्वेन्शन होंगे, दूसरे मुल्क 12 साल आगे बढ़ गए, इस अवधि में उन्होंने नये नये एक्सपेरिमेण्ट्स किए हैं और उसके आधार पर सुरक्षा भी बढ़ी है। इसके बावजूद मैं श्री भागवत झा आजाद जी को धन्यवाद ही दूंगा क्योंकि देर आयद दुरुस्त आयद यह अच्छा ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो विमान अपहरण की घटनायें बढ़ी हैं उनके पीछे राजनीतिक षड़यन्त्र था। बार बार इस सदन में भी बताया गया है,

लोगों ने सवाल भी किए हैं कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आप क्या प्रोटेक्शट कर रहे हैं, जो विमान अपहरणकर्ता थे, उनका वापिस क्यों नहीं लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उनके साथ हमने बात-चीत की है। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने शायद अभी जियाउल हक साहब से बात-चीत की होगी। पता नहीं है कि कब तक अपहरणकर्ता वापिस आ सकेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप अपहरणकर्ता वापिस आ सकेंगे।

देश में जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, उनकी ओर मेरे पूर्ववक्ता ने इशारा किया है कि वास्तव में वह कितने भद्दे हैं। आजाद जी को उन पर विचार करना चाहिए। कभी-कभी हम लोग भी हवाई जहाज से सफर करते हैं तो बड़ा कुण्ठ ग्रस्त होना पड़ता है। एक संसत्सदस्य की तो कोई तलाशी नहीं ली जाती है बल्कि उनको वजह से दूसरे विमानों को लेट तक कर दिया जाता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पिछले सेशन में मैं हवाई जहाज से बम्बई गया। पहले तो यहां से हमारे विमान की लेट उड़ान हुई। बम्बई जा कर मालूम हुआ कि हमारे से पहले वाले विमान में श्री राजीव गांधी आए थे। उनकी कोई भी तलाशी या सुरक्षा जांच नहीं की जाती बल्कि उनके लिए दूसरी व्यवस्था होती है। तो संसत्सदस्यों के बीच में जो यह फर्क किया जाता है यह कहां तक उचित है? कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। ऐसा न हो कि राजीव गांधी बिना किसी तलाशी के सीधे चले जायें और हमारी जांच की जाए। मैं तो समझता हूं साधारण लोगों तथा संसत्सदस्यों के बीच में भी कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोगों की कोई सुरक्षा जांच नहीं की जाती, उनके सामान की कोई जांच नहीं होती, चाहे वे देश के किसी भी हवाई अड्डे पर जायें या विदेश जायें, इस प्रकार की जो प्रथा यहां पर है इसी के कारण स्मगलिंग बढ़ रही है और देश की एकता को भी खतरा पैदा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, यह जो डिस्क्रीमिनेशन चल रहा है, इस पर गहराई के साथ विचार करें नहीं तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगी।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, जैसा कि उधर के माननीय सदस्यों ने भी कहा है, नई आधुनिक मशीनें जो कि इतनी मंहगी भी नहीं हैं, उनको आप लगवायें। उन से आप के लोगों की एफिसियेन्सी बढ़ेगी। सुरक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उन को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बेकार लोगों को वहां भेज दिया जाता है जो उस काम में एफिसियेण्ट नहीं हैं, जिन को उस तरह की ड्यूटी देने के तौर-तरीके मालूम नहीं हैं कि यात्रियों को सुरक्षा जांच कैसे की जा सकती है। जो उस काम में ट्रेण्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से उन को ट्रेनिंग की व्यवस्था कराइये तथा ट्रेण्ड लोगों की हवाई अड्डों पर लगाने की व्यवस्था के बारे में सोचिए, तभी इस में सुधार हो पायेगा।

विमान अपहरणकर्ताओं की सजा के के बारे में जो बिल आप लाये हैं उस में मानिटरी-पनिशमेण्ट की जो बात कही गई है वह बिल्कुल वेग है। उस में ऐसा कहीं नहीं है कि इस तरह के अपराधियों को आप कितना दण्ड देंगे। उस में ऐसा कहीं नहीं है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना दण्ड दे सकते हैं। इस बात को आप बिल में क्लियर कीजिए।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी हमारे साथियों ने जनता रिजीम में राजनीतिक मकसद

[श्री जगपाल सिंह]

के लिए संजय गांधी और इन्दिरा गांधी के समर्थन पर जिन लोगों ने बनारस से प्लेन हाइजैक किया था, उन का जिक्र किया है.। उनके केस आप की सरकार ने वापस किये हैं—यह उचित नहीं है। अगर हमारी सरकार भी इस तरह का रुख अपनायेगी तो वह गलत होगा। आप ने उन लोगों को अपनी पार्टी का एम० एल० ए० बनाया।. मैं उन के लिए क्रिमनल शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उन के केस को वापस लेना, उन कय एम० एल० ए० बनाना, यह प्रथा ठीक नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की कार्यवाही से आप की नीयत संदिग्ध हो जाती .है। .ऐसे लोगों को राजनीतिक आदमी समझ कर उनके केस को वापस लेने की प्रथा यदि बढ़ती गई तो इस.के बहुत खराब परिणाम निकल सकते हैं। आज खालिस्तान के समर्थक भी राजनीतिक हैं, जिनके पीछे पोलीटीकल-एम है। इस लिए इस तरह के राजनीतिक षड़यन्त्र में चाहे आप की पार्टी का मामला हो या हमारी पार्टी का मामला हो, उन को छोड़ना, देश की एकता को नुक्सान पहुंचाने की बात है, ऐसे मामले में भेदभाव की नीति को मत अपनाइये और ऐसे लोगों को सख्ती से सजा देने के बारे में सोचिये। इस लिए मैं आप से अपील करूंगा कि आप भविष्य के लिए जो भी कानून बनाने जा रहे हैं उन को ईमानदारी से लागू करने के बारे में विचार कीजिए। आज खालिस्तान के लोगों की जो मांगें हैं, अगर आप ने उनकी मांगों के सामने सरण्डर किया तो आने वाले समय में इस के भयानक नतीजे निकलेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस बात की तरफ मैंने अभी इशारा किया था कि एम० पी०—एम० पी० के बीच में आप के अधिकारी जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या तो उस को खत्म करवाने का आश्वासन देंगे या सब की जांच होगी। इस तरह का आश्वासन मैं आप से चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, हम इस समय दो विधेयकों पर विचार कर रहे हैं—एक—विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 और दूसरा—सिविल विमानन सुरक्षा विधि-विरुद्ध कार्यक्रमन विधेयक, 1982। ये दोनों विधेयक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं; मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए कुछ बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं ये विधेयक 1970 को हेग-कन्वेन्शन और 1971 की माण्ट्रियल कन्वेन्शन के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर तैयार किये गये हैं। यह ठीक है कि इन को लाने में देर हुई है, फिर भी इन को पास करने के बाद जल्द से जल्द अमल में लायें और जो भी विमानों की सुरक्षा के लिए खतरनाक समझा जाय या विमानों के अपहरण के नापाक काम के बारे में पकड़े जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव की बात न की जाए। कुछ वक्ताओं ने इस ओर ध्यान खींचा है कि पिछले तीन-चार सालों के अन्दर तीन, चार विमानों के अपहरण हमारे देश में हुए हैं और उनके कुछ अपहरणकर्त्ताओं को छोड़ दिया गया है, उनके मुकद्दमे वापस ले लिए गये हैं। इस तरह के आचरण से लोगों का विश्वास आपके कानूनों के प्रति हिलता है उनका विश्वास न हिले, इस बात को ध्यान में रख कर, जो कोई भी विमानों का नुकसान पहुंचाने वाला पकड़ा जाए, उसकी

सम्पत्ति और सब कुछ ले लेना चाहिए अपहरण के दुष्कर्मों में जो भी पकड़ा जाए। उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच में जनता के विश्वास को आप इन कानूनों के प्रति जगा नहीं सकेंगे।

जो बातें पीछे हुई हैं, मैं तो यह समझूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकद्दमे वापस ले लिए हैं, उनके खिलाफ इस कानून के चलने के बाद अब आप मुकद्दमे चलायेंगे। वे एम० एल० ए० हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, राज नेता हो सकते हैं लेकिन इस कानून से किसी की भी गर्दन को बरी नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाता हूं कि इस बिल के पृष्ठ दो पर धारा एक की उपधारा तीन में कहा गया है कि—"यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"

इतने गंभीर मामले और बात के लिए आप कुछ और समय लेना चाहते हैं। ऐसे कानून को अमल में लाने में ऐसी देरी क्यों होनी चाहिए? इस कानून और अन्य कानूनों में अन्तर है। हमारे देश के दुश्मन भीतर से या बाहर से हमारे विमानों को क्षति पहुंचाते हैं। उनके लिए अधिसूचना जारी करने में कुछ वक्त लगेगा, इसकी प्रतीक्षा आप क्यों करना चाहते हैं? जैसे ही कानून पास हो जाए और राष्ट्रपति जी की इसे स्वीकृति मिल जाए, इस कानून को फौरन ही प्रवृत्त माना जाए। इस तरह का मैंने संशोधन भी दिया है। मेरे ख्याल से इस संशोधन को स्वीकार करने में आपको कोई हील-हवाला नहीं करना चाहिए अगर आप सचमुच में ऐसे लोगों का जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो।

तीसरी बात तलाशी का सवाल उठाया गया। मैं तलाशी के पक्ष में हूं। अगर हवाई जहाज में चढ़ने वाले लोगों की तलाशी लेना हम बन्द कर देंगे तो हाईजेकर इसमें घुस जाएंगे। इसलिए आप तलाशी जरूर लीजिए लेकिन आप किसी यंत्र के द्वारा लीजिए जिससे कि यात्रा करने वाले किसी मर्द या औरत के शरीर का स्पर्श करने की जरूरत न पड़े। यहां दिल्ली में हमने देखा है कि यंत्र से आप यह कर रहे हैं। यही व्यवस्था आप सभी जगह कीजिए।

तलाशी सब की हो। इसमें आप भेदभाव की नीति न बरतिये। कोई बड़ा और छोटा हो सकता है। लेकिन यात्री सभी समान हैं और सभी लोग बराबर का पैसा दे कर यात्रा करते हैं, कोई कम पैसा नहीं देता। सभी बराबर का किराया देते हैं। इसको भी समान सुविधा और समान व्यवहार सब को मिलना चाहिए। इस बात को आप क्रियान्वित कीजिए, सब लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।

बहुत से कन्वेन्शन्स का जिक्र किया गया है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपके जहाज पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि इण्डियन एयरलाइन्स की लिखावट पर जाती है। वह अंग्रेजी

में लिखा होता है जब कि हमारी राजभाषा हिन्दी है। आफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में केवल हिन्दी है। बाद में आपने सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी माना है। वह आफिशियल लैंग्वेज एक्ट का उल्लंघन है।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Don't be so nervous after hearing the word 'Hindi.' I am not nervous. Please hear me.

MR. DEPUTY SPEAKER: A very serious gentleman! Let us hear him. Why do you bring controversial issues to him?!

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I am narrating about the Official Languages Acts 1963 and 1965.

राजभाषा अधिनियम 1963 की कमेटी भी दोनों सदनों की आपने बना रखी है। जब श्री ए० पी० शर्मा जी मंत्री ने एक सैशन पहले हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हम हिन्दी में भी लिखेंगे और अंग्रेजी में भी। हिन्दी अब किस तरफ लिखी हुई है, बैक में।

MR. DEPUTY SPEAKER: An internationalist like you should not talk about a particular language!

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Don't mislead me. I am talking about both the languages. There is only English. I want that Hindi should also be there, and below that English should be there, because the Official Languages Act makes a mention of both the languages.

MR. DEPUTY SPEAKER: I agree with you.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: You do not hear Hindi and you do not understand Hindi. Therefore, you say so.

SHRI K. MAYATHEVAR: Better you switch on to English!

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No. But, at times I will make you understand Hindi.

मैं समझता हूं, मंत्री जी समझ गये होंगे क्योंकि मंत्री जो राजभाषा अधिनियम के विरोधी नहीं है। वह कानून हम लोगों ने संसद् में कन्सेन्सस से पास किया। मेरा कहना यह है कि हिन्दी उसमें होना चाहिए।

आप अखबार जैसे दिल्ली से भेजते हैं, अंग्रेजी के तो आप देते ही हैं लेकिन हिन्दी के भी थोड़े देते हैं। आप सभी अखबारों को जहाज में दीजिए। मद्रास से अगर जहाज चलता है तो वहां तमिल और अंग्रेजी का अखबार दीजिए, उसी तरह से हर जगह यह व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री भागवत झा आज़ाद : हो जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आखिरी बात बसों के बारे में कहना चाहता हूं। बसों की व्यवस्था पहले आपकी थी यानी इण्डियन एयरलाइन्स की थी और उसका आप किराया वसूल कर लेते थे। बाद में आपने उस व्यवस्था को हटा दिया। दिल्ली में आपकी दूसरी व्यवस्था है, जो वारहिरोज रिटायर्ड हैं, उनको देते हैं। उसमें दिक्कत यह होती है कि एम० पी० लोग आते-जाते हैं और सबसे आखिर में हम लोगों का नार्थ-एवेन्यू या साऊथ एवेन्यू में पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक-एक घण्टे तक घूमते रहें। किराए के बारे में मैं आपको पटना की बात बताता हूं। तीन या चार किलो मीटर, हवाई अड्डे से, आपका सिटी में दफ्तर। और उसका आप लेते हैं— 10 रुपये। 10 रुपये क्यों लेते हैं जबकि यहां 8 रुपये लेते हैं। साधारण लोगों

के लिए यह ठीक नहीं है, हमको भी उतना ही पैसा देना पड़ता है। आप एक नियम बनाइए कि कितनी दूरी पर आप कितना पैसा लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बिना किसी भेदभाव के लागू करें, इसकी धाराओं को लागू करें और सब पर समान रूप से लागू करे ताकि जनता को विश्वास हो इस पर तथा दूसरे कानूनों पर। ऐसा करके ही आप किसी भी कानून के पक्ष में जनता का समर्थन ले सकते हैं।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : इस विधेयक का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं कुछ सुझाव में मंत्री जी को देना चाहता हूं। दूसरे सदन से यह पास हो गया है और अब सुझाव देने को कुछ बचे नहीं है। फिर भी एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने दूसरे सदन में कहा है उसका उल्लेख करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। शास्त्री जी तथा जगपाल सिंह जी ने भी कहा की आप संसद सदस्यों में डिस-क्रिमिनेट न करें। सदस्य-सदस्य में अन्तर न करें। आपने अपने जवाब में राज्य सभा में कहा था कि आप राज्य के मुख्य मंत्री को छूट देते हैं और किसी दूसरे मंत्री को नहीं देते हैं। केबिनेट रैंक का जो मंत्री है और जो कैबिनेट में है, उसी कैबिनेट का मुख्यमंत्री भी एक अंग होता है। आपने मुख्य मंत्री को छूट दे रखी है तो कैबिनेट रैंक के मंत्री को आप छूट न दें तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। मशीन से आप जांच करते हैं और मशीन से किसी को भी पार करने और सब की जांच करने में आपको क्या आपत्ति है। बहुत ज्यादा हमारे साथियों को दुख होता है क्योंकि जब हम जाते हैं तो पता नहीं कौन पकड़ ले और प्लेन को ले कर उड़ जाए और मौत से जूझना पड़ता है। इससे सबको दुख होता है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि क्यों दूसरों को छूट नहीं रहनी चाहिए। सबको मशीन से आपको समान रूप से पार करना चाहिये।

हाइजैकर्ज के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा कि विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे। यह उचित नहीं है। पाकिस्तान के हाईजैकर्ज के सम्बन्ध में आपने कहा कि विदेश का यह मामला है और विदेश मंत्री बताएंगे। मैं समझता हूं कि आपको निश्चित रूप से इसके बारे में बताना चाहिए कि जिसने हाईजैक किया उसके साथ आप पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। कनवेंशन का पाकिस्तान भी मैम्बर होना चाहिए। पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत तो हाईजैकर्ज को मृत्युदण्ड तक की सजा हो सकती है। हम तो केवल आजीवन करावास की सजा की ही व्यवस्था कर रहे हैं। सही दलील दी गई है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि जब किसी को मालूम हो जाएगा किसी हाईजैकर को पकड़े जाने पर मृत्यु दण्ड की सजा होगी तो उस अवस्था में उसको सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल सकती है और वह प्लेन को ध्वस्त भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार के साथ आपको बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहीं वह उनको छोड़ने की बात तो नहीं सोच रही है।

नेशनल इंटरेस्ट का जहां मामला हो उसके अन्दर हम को पार्टी इंटरेस्ट को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। पार्टी के हित में कोई बात थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी लग सकती है और वह थोड़ी देर

श्री रामविलास पासवान—जारी

के लिए इस बहादुरी के काम के लिए उसको वीर पुरुष का या बहादुरी का तगमा दे सकते हैं लेकिन अन्ततोगत्वा इस तरह की बात से राष्ट्र विरोधी तत्वों का बढ़ावा ही मिलता है और राष्ट्र को तोड़ने में यह चीज सहायक सिद्ध होती है । अगर कुछ लोगों के दिमाग में यह बात है कि अपहरण करना वीरता का काम है तो मैं इसको वीरता का काम नहीं समझता हूं । कोई कितना बड़ा आदमी भी क्यों न हो, कितने बड़े पद पर वह क्यों न हो, जो इस तरह का काम करता है उसके सम्बन्ध में हमें दूसरे मुल्कों में भी वातावरण इस तरह का बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ भी वही सलूक हो जो दूसरे ऐसे तत्वों के साथ होता है । दूसरे सदन में भी यह मामला आया था । कोई हवाई जहाज उड़ा भारत की भूमि से और हाईजैक हुआ पाकिस्तान की भूमि पर और फिर उसके बाद उतरा जा कर लंदन की भूमि पर फिर किस देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी । जहां उतरेगा उस देश का कानून ही लागू होगा । मैं चाहता हूं कि हम जनमत तैयार करें कि इस तरह का जो काम करता है चाहे किसी भी देश का आदमी करे, जो हाईजैकर है, वह कल्परिट है, हत्यारा है इसलिए किसी भी सरकार का यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह इस तरह के काम को स्पोर्ट करे और स्पोर्ट ही नहीं बल्कि इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम करे ।

आप मंत्री नहीं थे । कोई गलती हो तो उसको बताने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए । देर आयद दुरुस्त आयद । यह कनवेंशन दस साल पहले पास हुआ था । 1970 में हुआ था । बारह साल के बाद हम उस पर डिसकशन कर रहे हैं । 12 साल के बिल ला रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है । जनता पार्टी को भी हम इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारे जैसा आदमी प्रत्येक चीज के लिए जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं है । 8 साल तक आप रहे, आप इस बिल को नहीं लाये, जनता पार्टी की सरकार भी दो साल में नहीं लायी, दोनों ने गलत काम किया । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकारी तंत्र है, ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जिनकी पैनी दृष्टि है क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना घट सकती है ? और यदि नहीं सोचा तो क्या अपनी अदूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया ? इसलिए मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ ?

समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में मैंने सवाल पूछा था, आपके मंत्रालय ने जवाब दिया कि 11 लाख से ज्यादा सर्कुलेट होते है जिनमें से हिन्दी के समाचार-पत्र मात्र 1 लाख होते हैं । इसलिए जहां से जो भाषा का पत्र निकले उसको सर्कुलेट करना चाहिए । मैं नहीं कहता अकेले हिन्दी ही का हो, अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, बंगला सभी भाषाओं के रखिये और समान रूप से उसको रखिये ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का मौका किसी को न मिले ।

---

18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD.

Notification re: exemption from Custom duty on goods not produced in India and increase in the basic Custom duty on imported PVC resins

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri P. Venkatasubbaiah to lay a paper on behalf of Shri Janardhana Poojary.